



www.mcdpropertytax.in

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

स्वयं सम्पत्ति-कर निर्धारण फॉर्म SELF ASSESSMENT PROPERTY TAX FORM वित्त वर्ष 2020-21 F.Y. 2020-21

तथ्यों को छुपाने और गलत गणना के लिए दिल्ली नगर निगम
(संशोधित) अधिनियम, 2003 में दण्ड का प्रावधान है।
**Penal Provisions in DMC (Amendment) Act, 2003 exist for
Wrong Calculation and Concealment of Facts**

क्षेत्र / Zone _____

वार्ड सं./Ward No. _____

कॉलोनी का नाम/Colony Name _____

प्राप्ति/Receipt No. _____

प्राप्ति की तिथि/Date of Receipt _____

1. खाता पृष्ठ सं० Ledger Folio No.	कृपया निर्धारण की जाने वाली सम्पत्ति का खाता पृष्ठ सं. भरें, यदि उपलब्ध है (यदि उपलब्ध नहीं है, तो लागू नहीं लिखें) Please enter the Ledger Folio No. of the Property being Assessed, if available (write N/A, if not available)
2. पंजीकरण सं०/यू पी आई सी Registration No./UPIC	एकमात्र पहचान कोड/सम्पत्ति आई.डी. सं. {सभी विद्यमान पंजीकृत ऑनलाइन प्रयोगकर्ताओं के लिए जरूरी} कृपया अपनी पंजीकरण सं. Unique Identification Code/Property ID No. {Mandatory for all existing registered online users.} Please fill your Registration No.

3. सम्पत्ति का प्रकार* Type of Property*	कृपया अनुलग्नक 'ए' देखें। केवल एक विकल्प चुनें। Please refer to Annexure-A . Choose only one option.
यदि सम्पत्ति का प्रकार रिहायशी है—प्लॉटिड, तो कृपया एक विकल्प पर टिक करें If Type of Property is Residential—Plotted, then please tick one option	कोठी/खाली प्लॉट <input type="checkbox"/> निर्मित तल <input type="checkbox"/> Kothi/Vacant Plot Builder Floor
यदि सम्पत्ति एक जनता फ्लैट है, तो कृपया खाने में निशान लगायें Please Tick in the box, if the property is a Janta Flat	<input type="checkbox"/>
(केवल डी.डी.ए. आवास के लिए लागू। वर्गीकरण के विवरण के लिए अनुलग्नक 'बी' देखें। (Applicable only for Residential DDA. Refer to Annexure-B for details on categorisation)	

4. स्वामी का प्रकार* Type of Owner*	कृपया अनुलग्नक 'सी' को देखें। केवल एक विकल्प चुनें। Please refer to Annexure-C . Choose only one option.
--	---

5. सम्पत्ति मालिक/विवरण* Property Owners/Details*	सम्पत्ति स्वामी/स्वामियों के नाम (यदि उसी सम्पत्ति के लिए दो स्वामी से ज्यादा हैं, तो कृपया उसके लिए अनुलग्नक संलग्न करें।) Name of Property Owner/s (If more than 2 owners for the same property then please attach Annexure for the same)
--	---

नाम (प्रथम नाम/मध्य नाम, उपनाम) कम्पनी का नाम, संगठन इत्यादि* Name (First Name, Middle Name, Surname)/Name of Company/ Organisation etc.*	लिंग पुं०/स्त्री० Gender M/F	छूट का प्रकार (यदि लागू हो) 1. वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष अथवा अधिक) 2. महिला स्वामी/महिला द्वारा अपने सांझे पर विस्तार 3. शारीरिक विकलांग 4. भूतपूर्व सैनिक Type of Rebate (If applicable) 1. Senior Citizen (60 yrs. or more) 2. Owned by Women/Woman to the extent of her own share 3. Physically Challenged 4. Ex-servicemen	आयु (चालू वित्त वर्ष 30 जून को) Age (as on 30th June of Current Financial Year)

* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।
* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

6. Property Identification Details* सम्पत्ति पहचान विवरण*		सम्पत्ति का विवरण/पता भरें जिसके लिए कर का भुगतान किया जा रहा है। यदि आपकी कॉलोनी का नाम सहायक/कर निर्देशिका में नहीं है, तो अपने अति निकटतम कॉलोनी और उसकी श्रेणी को भरें। पते के कॉलम में अपनी कॉलोनी का नाम भरें। Enter the property detail/address for which the tax is being paid. If your Colony Name is not in the Help/Tax Guide, then please enter the Highest Neighbouring Colony and its Category. Enter the Name of your Colony in Address column.			
सम्पत्ति/मकान सं.* Property/House Number*					
पता* Address*					
कॉलोनी का नाम* (सहायक/कर निर्देशिका के संदर्भ में) Colony Name* (Refer to the Help/Tax Guide)					
श्रेणी* Category*	कॉलोनी क्रम सं.* Colony Serial No.*		पिन कोड Pin Code		
क्षेत्र का नाम* Zone Name*					

7. पत्राचार का पता* Correspondence Address*					
सम्पत्ति/मकान सं. Property/House Number					
पता Address					
				पिन कोड Pin Code	
दूरभाष सं.* Phone No.*		मोबाइल सं.* Mobile No.*			
ई-मेल* E-mail*				पैन सं.* PAN NO.*	

8.	प्लॉट/भूमि/कोठी/बंगला/फार्महाउस का विवरण Plot/Land/Kothi/Bungalow/Farm House details				
क. 8A.	प्लॉट/भूमि का क्षेत्र (वर्ग मी. में) 1 वर्ग गज = 0.8361 वर्ग मीटर, 1 वर्ग फुट = 0.0929 वर्ग मीटर Area of Plot/Land* (in Sq. metres) 1 Sq. yard = 0.8361 Sq. metre, 1 Sq. foot = 0.0929 Sq. metre				
ख. 8B.	भूतल पर बना हुआ निर्मित क्षेत्र (वर्ग मी. में) Built-Up/Constructed area on the Ground Floor* (in Sq. metres)				
ग. 8C.	बने हुए निर्मित क्षेत्र का प्रतिशत (8ख को 8क द्वारा भाग) × 100 Percentage Area Built-Up/Constructed* (8B divided by 8A) x 100				

नोट :- यदि 8ग 25% अथवा अधिक है और प्लॉट का शेष क्षेत्र किसी लाभ के लिए/व्यावसायिक गतिविधि के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो बिन्दु 9 पर जाएं अन्यथा 8घ से जारी।

Note : - If 8C is 25% or more and the balance area of the plot is not being used for any profitable/commercial activity, then go to Point 9 otherwise continue to 8D.

* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।
* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

घ. 8D.	यूनिट एरिया मूल्य* (अनुलग्नक 'घ' के संदर्भ में) Unit Area Value* (Refer to Annexure-D)		₹. Rs.
ङ. 8E.	खाली भूमि प्रयोग घटक* (अनुलग्नक 'एच' के संदर्भ में) Vacant Land Use Factor* (Refer to Annexure-H)	(i) घटक आई डी Factor ID (ii) प्रयोग घटक Use Factor	
च. 8F.	कब्जा घटक (अनुलग्नक 'आई' के संदर्भ में) Occupancy Factor* (Refer to Annexure-I)	(i) प्रकार Type (ii) स्वयं / Self - 1 किराय पर / Rented - 2 Factor	
छ. 8G.	वार्षिक मूल्य* (8क - 8ख) x 8ड (ii) x 8च (ii) x 0.3 Annual Value* (8A - 8B) x 8D x 8E (ii) x 8F (ii) x 0.3		
ज. 8H.	कर की दर प्रतिशत* (अनुलग्नक 'ई' के संदर्भ में) Rate of Tax %* (Refer to Annexure-E)		
झ. 8I.	छूट श्रेणी, यदि लागू हो (अनुलग्नक 'एल' के संदर्भ में) Exemption Category, if applicable (Refer to Annexure-L)		
ञ. 8J.	खाली भूमि वार्षिक कर (8ख x 8ज x 8झ) 100 द्वारा भाग देने पर Vacant Land Annual Tax (8G x 8H x 8I) divided by 100		₹. Rs.

9. भवन विवरण और कर गणना
Building Details and Tax Calculation

* सभी प्रकार की निर्मित सम्पत्तियों के लिए लागू। प्रत्येक तल का विवरण अलग लाइनों में भरें। यदि जरूरी हो अनुलग्नक लगायें।
* गणना करने पर यदि कोई वैल्यू खाली है, तो 1(एक) के साथ बदलें।

Applicable for all type of built up properties. Enter each floor details in separate lines. Attach Annexure if required.
While Calculating if any value is BLANK, then replace with 1 (one).

तल सं. Floor No.*	यूनिट एरिया मूल्य* (वर्ग मी. में) रूपये/ वर्ग मी. अनुलग्नक 'डी' के संदर्भ में Unit Area Value* Rs./Sq. metres (Refer Annex.-D)	आच्छादित क्षेत्र* (वर्ग मी. में) 1 वर्ग गज = 0.8361 वर्ग मी. 1 वर्ग फुट = 0.0929 वर्ग मी. Covered Area* (in Sq. metres) 1 Sq. yard = 0.8361 Sqm. 1 Sq. foot = 0.0929 Sq. metres	आयु घटक* (अनुलग्नक 'एफ' के संदर्भ में) Age Factor* (Refer Annex.-F)		ढांचा घटक* (अनुलग्नक 'जी' के संदर्भ में) Structure Factor* (Refer Annex.-G)	प्रयोग घटक* Use Factor* (Refer Annex.-H)		कब्जा घटक* (अनुलग्नक 'आई' के संदर्भ में) Occupancy Factor* (Refer Annex.-I)		फ्लैट घटक (अनुलग्नक 'जे' के संदर्भ में) Flat Factor (Refer Annex.-J)	वार्षिक मूल्य* (9ख x 9ग x 9ड x 9च x 9ज x 9झ) Annual Value* (9B x 9C x 9E x 9F x 9H x 9J x 9K)	कर की दर प्रतिशत (अनुलग्नक 'ई' के संदर्भ में) Rate of Tax % (Refer Annex.-E)	छूट श्रेणी (यदि लागू है) (अनुलग्नक 'एल' के संदर्भ में) यदि लागू नहीं है तो मूल्य 1 रखें Exemption Category (If Applicable) Refer Annex.-L (if not applicable put value as 1)	वार्षिक कर (9ड x 9च x 9ज को 100 द्वारा भाग) Annual Tax (9L x 9M x 9N Divided by 100)
			निर्माण का वर्ष Year of Const.	आयु घटक Age Factor		घटक आई डी Factor ID	प्रयोग घटक Use Factor	प्रकार Type	घटक Factor					
9क 9A	9ख 9B	9ग 9C	9घ 9D	9ङ 9E	9च 9F	9छ 9G	9ज 9H	9झ 9I	9ञ 9J	9ट 9K	9ठ 9L	9ड 9M	9ढ 9N	9ण 9O

(तल सं. : तहखाना = -1, भूतल = 0, प्रथम तल = 1, द्वितीय तल = 2, तृतीय तल = 3 इत्यादि मियानी को तल के तौर पर मानते हुए)
(Floor Number : Basement = -1, Ground Floor = 0, First Floor = 1, Second Floor = 2, Third Floor = 3 etc. Consider Mezzanine as a floor)

* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।
* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

10.	कुल वार्षिक मूल्य* (8छ और 9ठ का योग) Total Annual Value* (Total of 8G and 9L)	11.	कुल वार्षिक कर (8ज तथा 9ण का योग) Total Annual Tax (Total of 8J and 9O)
-----	--	-----	--

12. छूट गणना	वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और शारीरिक विकलांगों अथवा भूतपूर्व सैनिक जो स्वयं कब्जाधारी हैं और आवासीय प्रयोग के लिए स्वामित्व वाली 200 वर्ग मी. तक आच्छादित क्षेत्र वाली एकल सम्पत्ति के लिए छूट लागू। Rebate Calculation Rebate applicable for Single property upto 200 Sq. metres covered area (on pro-rata basis) owned by Senior Citizen, Woman and Physically Challenged or Ex-servicemen which is Self-Occupied for Residential use.
--------------	---

क.	यदि आच्छादित क्षेत्र 200 वर्ग मी. से कम है : छूट राशि = वार्षिक कर (9ण का कुल) x 0.3 (यदि लागू है)	रु.
12A.	If CA is less than 200 Sq. metres : Rebate Amount = Annual Tax (Total of 9O) x 0.3 (If Applicable)	Rs.
क.	यदि आच्छादित क्षेत्र 200 वर्ग मी. से अधिक है : छूट राशि = वार्षिक कर (9ण का कुल) x 200 x 0.3 / कुल आच्छादित क्षेत्र	रु.
12A.	If CA is more than 200 Sq. metres : Rebate Amount = Annual Tax (Total of 9O) x 200 x 0.3 / Total Covered Area	Rs.

13. छूट का विवरण Exemption Details		
क.	8छ तथा 9ठ से उत्पन्न हुए भाग जो छूट के योग्य (यदि कोई है) का कुल वार्षिक मूल्य	रु.
13A.	Total Annual Value of Exempted Portion (if any) derived from (8G and 9L)	Rs.

14. सेवा शुल्क# Service Charges#	के लिए लागू : संघीय सम्पत्तियां (दि.न.नि. अधिनियम के अध्याय-119 का संदर्भ) अथवा धर्मार्थ सम्पत्तियां (अनुलग्नक 'एल' के संदर्भ) Applicable for : Union Properties (Ref. Section 119 DMC Act) or Public Charity Properties (refer Annexure-L).
-------------------------------------	---

क.	सम्पत्ति कर का 75% की दर से सेवा शुल्क (यदि एक संघीय सम्पत्ति और भारतीय रेल की सम्पत्तियां (खाली जमीन, टॉवर और होर्डिंग सहित) किसी अनुमोदित अथवा अनाधिकृत नियमित कॉलोनी में स्थित है)	रु.
14A.	Service Charge @ 75% of Property Tax (If a Union Property including vacant land, Towers and hoardingsof union and Indian Railway is situated in any approved or unauthorised regularized colonies)	Rs.
ख.	सम्पत्ति कर का 50% की दर से सेवा शुल्क (यदि एक संघीय सम्पत्ति और भारतीय रेल की सम्पत्तियां (खाली जमीन, टॉवर और होर्डिंग सहित) उपर्युक्त के अलावा शहरीकृत गाँवों, अनाधिकृत कॉलोनियों, ग्रामीण गाँवों आदि सहित कॉलोनी में स्थित है)	रु.
14B.	Service Charge @ 50% of Property Tax (If a Union Property including vacant land, Towers and hoardingsof union and Indian Railway is situated in any colonies other than above including urbanized villages, unauthorized colonies, rural villages etc.)	Rs.
ग.	सम्पत्ति कर का 75% की दर से सेवा शुल्क (अध्याय-115(1)(iv) के अनुसार धर्मार्थ सम्पत्तियां)	रु.
14C.	Service Charge @ 75% of Property Tax (Public charity properties as per Section 115(1)(iv))	Rs.
घ.	कुल कर/सेवा शुल्क [14क अथवा 14ख अथवा 14ग + 16द + 18ज (नीचे)] (यहां से आगम 18 तक के लिए भुगतान विवरण)	रु.
14D.	Total Tax/Service Charge (14A or 14B or 14C + 16R + 18H below) (from here Proceed to 18M for payment details)	Rs.

#(सेवा शुल्कों पर छूट लागू नहीं है)

#(No Rebate is admissible on Service Charges)

* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।
* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

15. एकमुश्त कर भुगतान One Time Tax Payment		एकमुश्त कर भुगतान योजना के तहत छूट प्राप्त सम्पत्तियां जिनके प्रयोग, ढांचा और स्वामित्व में सन् 1986 से परिवर्तन नहीं किया गया है, के लिए लागू Applicable for Properties exempted under One Time Tax Payment Scheme whose use, structure and ownership have not been changed since 1986 (Refer Section 116H)			
क. 15A.	कर योग्य मूल्य राशि जिसके आधार पर एकमुश्त कर भुगतान किया था Rateable Value Amount on the basis of which the One Time Tax was Paid				रु. Rs.
ख. 15B.	यूनिट एरिया प्रणाली में कर के उद्देश्य के लिए वार्षिक मूल्य (10 – 15क) Annual Value for the Purpose of Tax in Unit Area System (10 – 15A)				रु. Rs.
ग. 15C.	कर की दर % (अनुलग्नक 'ई' का संदर्भ) Rate of Tax % (Refer to Annexure-E)				रु. Rs.
घ. 15D.	वार्षिक कर {(15ख X 15ग) को 100 द्वारा भाग देने पर} Annual Tax {(15B x 15C) divided by 100}				रु. Rs.
16. बकाया कर/सेवा शुल्क और इस पर ब्याज Arrears of Tax/Service Charges and Interest thereon		यदि आपको किसी एरियर अथवा ब्याज का भुगतान करना है, तो लागू। ब्याज प्रत्येक तिमाही जिसमें कर देय था, की देय तिथि के बाद 1% प्रतिमाह अथवा माह के भाग की दर से वसूली योग्य है। ब्याज गणना के लिए सहायक/कर निर्देशिका को देखें। Applicable if you have any arrears or interest to be paid. Interest is chargeable @1% per month or part of the month after the due date of each quarter in which the tax was due. Refer to Help/Tax Guide for interest computation			
	वर्ष Year	राशि Amount	ब्याज Interest	जुर्माना (लगाया गया, यदि कोई हो) Penalty (Levied, if any)	कुल Total
क. 16A.	2004 से पहले Before 2004				रु. Rs.
ख./16B.	2004-2005				रु./Rs.
ग./16C.	2005-2006				रु./Rs.
घ./16D.	2006-2007				रु./Rs.
ङ./16E.	2007-2008				रु./Rs..
च./16F.	2008-2009				रु./Rs.
छ./16G.	2009-2010				रु./Rs.
ज./16H.	2010-2011				रु./Rs..
झ./16I.	2011-2012				रु./Rs.
ञ./16J.	2012-2013				रु./Rs.
ट./16K.	2013-2014				रु./Rs.
ठ./16L.	2014-2015				रु./Rs..
ड./16M.	2015-2016				रु./Rs.
ढ./16N.	2016-2017				रु./Rs..
ण./16O.	2017-2018				रु./Rs.
त./16P.	2018-2019				रु./Rs.
द. 16R.	कुल योग Grand Total				रु. Rs.

* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।
* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

17. 2019-20 के लिए भुगतान विवरण Payment Details for 2019-20						
क. 17A.	रसीद सं. Receipt No.	ख. 17B.	प्राप्ति तिथि Receipt Date	ग. 17C.	भुगतान की राशि Amount Paid	रु. Rs.
*18. वर्ष 2020-21 के लिए भुगतान विवरण Payment Details for 2020-21		सभी के लिए लागू Applicable for all				
क. 18A.	11 या 15घ पर कुल वार्षिक कर गणना Total Annual Tax Calculated at 11 or 15D					रु. Rs.
ख. 18B.	12क पर कुल छूट की राशि Rebate Amount (if applicable) Calculated at 12A					रु. Rs.
ग. 18C.	कर राशि (18क-18ख) Tax Amount (18A - 18B)					रु. Rs.
घ. 18D.	भुगतान की प्रकृति* (कृपया एक पर निशान लगायें) Nature of payment *(Please Tick one)	एकमुश्त (क्रम सं. 18इ से लगातार) Lump sum (Continue to Point 18E)		तिमाही भुगतान (क्रम सं. 18ज से लगातार) Quarterly Payment (Continue to Point 18 J)		
ङ. 18E.	छूट (यदि 30 जून, 2020 को अथवा पहले एकमुश्त भुगतान किया गया है, पर लागू होगी अन्यथा कोई छूट नहीं है) REBATES (Applicable if paying in Lump sum on or before 30th June, 2020, otherwise no Rebate is admissible)					
	(ए) 18ग का 15% एकमुश्त भुगतान छूट (a) Lump sum Payment Rebate 15% of 18C					रु. Rs.
	(बी) [18ग-18इ(ए) का 20%] केवल को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी के मामले में एकमुश्त भुगतान पर अतिरिक्त छूट (b) Additional rebate on Lump sum payment in case of Cooperative Group Housing Societies only 20% of [18C - 18E(a)]					रु. Rs.
	(सी) केवल दिन.नि. के सहायता प्राप्त स्कूलों के मामले में एकमुश्त भुगतान पर [18ग-18इ (ए) का 90%] अतिरिक्त छूट (c) Additional rebate on Lump sum payment in case of only Municipal Corporations Aided Schools 90% of [18C - 18E(a)]					रु. Rs.
	कुल छूट (ए + बी + सी) Total of Rebates (a + b + c)					रु. Rs.
च. 18F.	वर्ष 2020-21 के लिए 1 प्रतिशत प्रति माह ब्याज (चालू वर्ष के 30 जून के पश्चात् भुगतानों के लिए लागू) Interest 1% P.M. for 2020-21 (applicable for payments after 30th June of current year)					रु. Rs.
छ. 18G.	कर एरियर (यदि लागू हो) 16द पर Tax Arrears (If payable) at 16R					रु. Rs.
ज. 18H.	सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का 1 प्रतिशत शिक्षा सैस Education Cess @ 1% of Annual value of property.					रु. Rs.
झ. 18I.	कुल कर देय (18ग + 18च + 18छ + 18ज - 18इ) Net Tax Payable 18C + 18F + 18G + 18H - 18E					रु. Rs.
ञ. 18J.	कुल कर देयता यदि तिमाही भुगतान किया जा रहा है (18ग/4) + 18च + 18छ + 18ज (केवल प्रथम तिमाही के भुगतान पर) Net Tax Payable if paying Quarterly (18C/4) + [18F + 18G + 18H (only at the payment of 1st Quarters)]					रु. Rs.
ट 18K.	कुल कर देयता (शब्दों में)* Net Tax Payable (in Words)*					रु. Rs.

* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।
* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

ठ. 18L.	यदि तिमाही भुगतान किया गया है (कृपया एक पर निशान लगायें) If paying Quarterly (Please Tick One)	प्रथम तिमाही 30 जून, 2020 की समाप्ति पर 1st Quarter ending 30 June, 2020	द्वितीय तिमाही 30 सितम्बर, 2020 की समाप्ति पर 2nd Quarter ending 30 Sept., 2020	तृतीय तिमाही 31 दिसम्बर, 2020 की समाप्ति पर 3rd Quarter ending 31 Dec., 2020	चतुर्थ तिमाही 31 मार्च, 2021 की समाप्ति पर 4th Quarter ending 31 Mar., 2021
ड. 18M.	भुगतान का प्रकार* (कृपया एक पर निशान लगायें) Mode of Payment* (Please Tick One)	नकद Cash	चैक Cheque	डिमान्ड ड्राफ्ट Demand Draft	
ढ. *18N.	चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट का विवरण (यदि आपने विकल्प 18 ड में चैक अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट को चुना है तो लागू) कृपया चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट को "आयुक्त, दक्षिणी दि.न.नि." के पक्ष में क्रॉस करें। चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे मालिक का नाम, फोन नम्बर तथा सम्पत्ति का पूरा पता भी लिखें। Cheque/DD Details (Applicable if you have chosen Cheque or DD in option 18M) Please make crossed Cheque/DD in favour of 'Commissioner, South Delhi Municipal Corporation'. Also write Owner Name, Phone Number and Property Address on back of Cheque/DD.				
*चैक/डीडी Cheque/DD	(i) संख्या (i) Number	(ii) तिथि (ii) Date	(iii) *बैंक का नाम (iii) Bank Name		
(iv) *शाखा का नाम (iv) Branch Name			(v) *खाता संख्या (v) Account Number		

*घोषणा एवं सत्यापन :

*DECLARATION & VERIFICATION :

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष _____ में _____ वर्ग मी० क्षेत्र वार्षिक सम्पत्ति कर विवरणी के अनुसार अतिरिक्त/परिवर्तन/नवीनीकरण पूरा किया गया है।

Certified that _____ sq. mtr. area as per the Annual Property Tax Return has been carried out as Addition/Alteration/Renovation in the year _____ .

मैं सत्यापित करता हूँ कि इस फॉर्म में भरे गये विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं तथा मैं इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ। मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (यथा-संशोधित) के दण्ड प्रावधानों से अवगत हूँ जो जानबूझकर और प्रलोभन में झूठे और असत्य विवरणों को प्रस्तुत करने के विरुद्ध हैं।

I certify that the particulars filled in this form are true and correct to the best of my knowledge and I am authorized to sign this form. I am aware of the penal provisions of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (as amended) which are attracted on wilful suppression and submission of false and incorrect particulars.

नाम :

Name : _____

तिथि :

Date : _____

हस्ताक्षर :

Signature : _____

Note :- The Annual Value is subject to variation on implementation of the recommendation of the MVC- IV Taxpayer would be liable to pay difference in tax on the revised Annual Value on such implementation.

Education Cess :- An education cess @ 1% of the Annual value of vacant land and covered space of building or part thereof would be payable as per schedule of taxes 2020-21.

* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।
* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

छूट एवं रियायतें :

Rebates :

- (1) www.mcdpropertytax.in पर उपलब्ध कराए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन सम्पत्ति कर रिटर्न भरने तथा सम्पत्ति कर का भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए, धारा 114बी एवं 123बी(3) अथवा अन्यथा के अन्तर्गत सभी योग्य छूट (डिस्काउंट) के बाद देय कर का 2 प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में समझा जा सकता है बशर्ते कि अधिकतम कर 10,000/- रुपये से अधिक नहीं है।
- (1) Additional rebate of 2% of the tax payable after all eligible discounts U/s 114B and 123B(3) or otherwise as incentive for the taxpayers filing the property tax returns online and making property tax payments online through the payment gateway provided on www.mcdpropertytax.in subject to maximum tax not exceeding Rs. 10,000/-.
- (2) धारा 123बी(3) के तहत समय पर भुगतान करने पर छूट :
- (2) **Rebate U/s 123B(3) for timely payment of tax in lump sum :**
 - (i) वित्त वर्ष के 30 जून तक उसी वित्त वर्ष के कर की राशि एक-मुश्त जमा करवाने पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
 - (i) A payment of the tax due in lump sum in one installment for the FY by 30th June of that FY shall entitle one to a rebate of 15% of the total tax amount due.
 - (ii) तिमाही किश्तों में किये गये भुगतानों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।
 - (ii) No rebates would be given on payment in quarterly installments.
 - (iii) प्रत्येक तिमाही जिसमें कर देय था, की तिथि के पश्चात् भुगतान करने पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा माह के उस हिस्से की दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा।
 - (iii) Late payment shall invite interest @ 1% per month or part of the month after the due date of each quarter in which the tax is due.
- (3) फ्लैटों के लिए रियायत :—100 वर्ग मीटर तक के आच्छादित क्षेत्र वाले डी.डी.ए./सी.जी.एच.एस. के लिए वार्षिक मूल्य पर 10 प्रतिशत की छूट (यथा-अनुपात आधार पर)।
- (3) **Concession for flats** :—Rebate of 10% of the Annual Value presently applicable to the DDA/CGHS flats upto covered space of 100 sq. mtrs. (on pro-rata basis).
- (4) धारा 114बी के अन्तर्गत छूट :—200 वर्ग मीटर तक के आच्छादित क्षेत्र (यथा-अनुपात आधार पर) तक की एकल सम्पत्ति के लिए, जो रिहायशी प्रयोग हेतु स्वअधिभोग में है, और वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष अथवा अधिक), महिला (उसके अपने हिस्से की सीमा तक) और शारीरिक रूप से विकलांग के स्वामित्व में है, के लिए 30 प्रतिशत छूट अनुमत होगी। इस धारा के अन्तर्गत केवल एक प्रकार की ही छूट मिलेगी चाहे कोई व्यक्ति एक से अधिक छूट की पात्रता रखता हो।
- (4) **Rebate U/s 114B** :—A rebate of 30% of tax due on the covered space of such building (on pro rata basis) shall be allowed upto the covered space of 200 sq. mtrs. to persons of eligible categories, i.e. senior citizens (60 years or more), women (irrespective of her age) or physically challenged persons (irrespective of age) singly or jointly owned by any of these categories and such rebate shall be only for one residential property in NCTD. However, only one rebate can be availed, even if a person is eligible for more than one rebate under this section.
- (5) को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की सम्पत्तियों के मामले में एकमुश्त भुगतान करने पर 20 प्रतिशत की छूट अनुमत होगी।
- (5) **Additional rebate of 20% of the tax due on lump sum payment** in cases of properties in Co-operative Group Housing Societies (CGHS).
- (6) दिल्ली नगर निगम द्वारा, अनुदान प्राप्त विद्यालयों के मामले में एकमुश्त भुगतान करने पर 90 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट अनुमत होगी।
- (6) **Additional rebate of 90% on lump sum payment** in case of only MCD aided schools.
- (7) जो विभाग सेवा कर दे रहे हैं वो किसी भी प्रकार की छूट के हकदार नहीं होंगे।
- (7) The departments, which are paying Service Charge(s) will not be entitled for any rebate under any head.
- (8) भूतपूर्व सैनिक के स्वामित्व में 200 वर्ग मीटर तक के आच्छादित क्षेत्र (यथानुपात आधार पर) तक की एक रिहायशी सम्पत्ति के लिए टैक्स का 30 प्रतिशत छूट अनुमत होगी, बशर्ते कि यह एक्ट की धारा 114बी के आकृत नहीं होगी और इसका कोई हिस्सा किराए पर भी नहीं दिया हो।
- (7) A rebate of 30% of tax due on the covered space of such building (on prorata basis) shall be allowed upto the covered space of 200 Sqm. to Ex-Servicemen on one self occupied property provided not covered by Section 114B and no portion on rent.

*** यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।**
*** This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.**